प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (नोडल अधिकारी), उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/117-119 लखनऊः दिनांक 06.02.2019

विषय : उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का शत–प्रतिशत निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0–3987/सेक–2–पांच–18–7(50)/2018, दिनांक 25.01.2018 (दिनांक 25.01.2019) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिथिल प्रगति एवं शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के उपरान्त भी अत्यन्त खराब प्रगति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में सभी ऐसे प्रकरण जो समय सीमा के उपरान्त लम्बित है उनका नियमानुसार निस्तारण कर अवगत कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित समस्त सेवाओं से सम्बन्धित लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अपने स्तर से आज ही शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना/आख्या तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। प्रशनगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के लम्बित आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भो से आच्छादित है। शीर्ष प्राथमिक्ता प्रदान करें।

जनहित अधिनियम में प्राविधानित नियम–4,6 व 16 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महनिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

पत्रांक–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. श्री पी0 लाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–2

निदेशक (नियोजन एवं बजट)

Anshu. gen let 3